बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर।)

बुधवार, तिथि ५ मार्च १९७५ ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—१९, ३१, ३२ ... १—११

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९७७, ९८५, ९८९, ९९४, ९९५, ९९६, ९९८, ९९९, १००१, १००२, १००३, १००४, १००५, १००६, १००७, १००८, १००९, १०११, १०१३, १०१४, १०१५, १०१६, १०१७, १०१८, १०२०, १०२१, १०२२, १०२३, १०२४, १०२५, १०२६, १०२७, १०२८, १०३१, १०३२, १०३३, १०३५, १०३६। ... ११—५७

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर):— .... ५८—८४

दैनिक निबंध :— .... ८५—८७

टिप्पणी :—जिन मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(२) यह बात सही है कि पुल टूटे हुए हैं किन्तु आवागमन बन्द नहीं है। दो पुलों पर आवागमन है तथा तीसरे पुल के बगल से आवागमन होता है।

(३) उक्त सड़क एवं पुलों की मरम्मति में अनुमानत: ७५,०००) रु० व्यय होने की संभावना है जिसे अर्थाभाव के कारण वहन करना कठिन है।

पुल का निर्माण।

१०२८। श्री संत प्रसाद सिंह—क्या मंत्री योजना एवं विकास (ग्रामीण विकास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) रोहतास जिलान्तर्गत दावथ में ध्वस्त काव नदी के पुल के निर्माण के संबंध में अब तक सरकार ने कौन-सी कारंवाई की है तथा पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की उम्मीद है ?

श्री नरसिंह बैठा मंत्री— पीरो कवाथ सड़क पर स्थित काव नदी पर पुराने ध्वस्त पुल के पुनर्निर्माण पर लगभग ८ लाख रुपये लगने की संभावना है। जो अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है। फिर भी उक्त ध्वस्त पुल के डायभरसन के रूप में रोहतास जिला पर्षद द्वारा एक अस्थायी लकड़ी के पुल का निर्माण हेतु ८०,०००) रु० का प्राक्कलन तैयार किया गया है। ग्राम अभियंत्रण संगठन द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य शुरू करने की दिशा में जिला पर्षद द्वारा आवश्यक कारंवाई की जायगी।

श्री प्रसाद की प्रोन्नति।

१०३१। श्री जगदीश ओझा— क्या मंत्री सामुदायिक विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति के लिये १४ प्रतिशत आरक्षण करने का प्रावधान है;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शुकदेव प्रसाद पंचायत सेवक (अनुसूचित जाति) जो रोहतास जिलान्तर्गत नोखा प्रखण्ड में पदस्थापित हैं जिनकी सेवा २१ वर्ष से ज्यादा हो चुका है उनकी प्रोन्नति हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोखा ने अपने पत्रांक इसी दिनांक २-२-६५ के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी,